

प्रत्येक 2 (नियम 11 (4) देखें)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (CHHATARPUR), मध्य प्रदेश

दस्तावेज: \_\_\_\_\_ फॉक्स: \_\_\_\_\_ ई-मेल: \_\_\_\_\_

कक्षांक: 09048358/स्कूल आई.डी. - 42051  
नाम:

दिनांक: 02/01/18

प्रबंधक,  
(DELHI PUBLIC SCHOOL)

वर्ष: नि:शुल्क और अनिवार्य शाला शिक्षा का अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शाला शिक्षा का अधिनियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

सहायक/सहायिका:

आपके आवेदन पर दिनांक 08/01/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रेषित पत्र व्यवहार निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -DELHI PUBLIC SCHOOL, PANNA-KHAJURAHO HIGHWAY NEAR VILLAGE KADARI POST BASARI, SO BAMIHA DISTT. CHHATARPUR, M.P. को कक्षा KG-1 से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/05/2018 से 31/03/2021 तक कक्षाएं प के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न लक्ष्य बताने की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता प्रस्तावित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से शाला की मान्यता/संबद्धता की कोई राशयता कभी भी रूप में व्यक्त नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य शाला शिक्षा का अधिनियम, 2009 (उपनियम 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य शाला शिक्षा का अधिनियम, 2010 (उपनियम 2) के उपनियमों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने प्रवेश के समय के पत्र में स्कूल तथा कक्षाओं के नामों को कक्षा 1 में स्वीकृत 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस वर्ष में, स्कूल यदि स्वीकृत प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेश करने वाले को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रवेश शाला देगा जिस रूप में उसके माता-पिता अपने बच्चे को प्रवेश करने हेतु प्रवेश पत्र के माध्यम से शाला के अनुपात प्राप्त होता है। यदि वह स्वीकृत/अनुपात प्रतिशत में अक्षम होता है तो वह स्कूल परी-स्कूल (प.स्कूल) शाला दी जाती है यदि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत (क) से (ग) के उपनियम प-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 2 में निर्दिष्ट बालकों को स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रवेश की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा उक्त प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग उपलब्ध कराया जाएगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी नि:शुल्क शाला का प्रवेश नहीं करेगा तथा बालक या उसके बालक या अधिनियम के तहत कक्षा प्रवेशित प्रवेश को नहीं उपलब्ध कराएगा।
- स्कूल कभी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा:
  - (क) अनु के स्कूल के अन्तर्गत।
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए बालक को कोई प्रस्तावित बालक/पत्र के पत्र/पत्र देकर प्रवेश प्राप्त किया है।
  - (ग) धर्म, जाति या स्वीकृत, अनुसूचित या इनमें से कहीं भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:
  - कहीं स्वीकृत में प्रवेश शाला पूर्ण होने तक कक्षा में बालक को कक्षा में प्रवेश या निष्काशन नहीं किया जाएगा।
  - कक्षा बालक को धार्मिक या जाति के रूप में प्रवेश नहीं किया जाएगा।
  - प्रवेश शाला पूर्ण होने तक बालक को कोई भी प्रवेश प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - नियम 19 के अधीन प्रवेश शाला पूर्ण करने वाले प्रवेश बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
  - अधिनियम के उपनियम के अनुसार विद्यालय बालक आवास/कक्षा वाले बालकों को सम्मिलित किया जाएगा।
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित स्वीकृत/अनुपात अनुपात शाला की कक्षा की जाएगी बतौर के सम्मिलित में बालक को प्रवेश शाला अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होने पर स्वीकृत/अनुपात नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रावधान होने के दिनांक से 30 दिनों की अवधि में निर्धारित स्वीकृत/अनुपात प्रवेश प्राप्त करने होंगे।
  - बालकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कक्षाओं का प्रवेश कराया जाएगा।
  - प्रवेशित शाला की पूर्ति पत्रों में बालक स्वीकृत/अनुपात नहीं लेगे/लेगी।
- स्कूल नग्न बत प्राध्यापकों द्वारा निर्धारित शालाओं का अनुपात करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में बतौर कर अनुपात स्कूल में उपलब्ध शाला के अनुपात में स्कूल में प्रवेश या प्रवेशित बतौर करेगा।



Vatsala Smriti  
PRINCIPAL  
DELHI PUBLIC SCHOOL  
CHHATARPUR (M.P.)



स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम विरोधण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8. स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9. स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	213958	213958
10. स्कूल का निर्मात क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	58674	58674
11. खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	157084	157084

व्यवस्था	अधीनस्थता का विवरण		वास्तविक स्थिति	
	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1. कक्षा आठवीं तक उपयुक्त में आ रहे कक्षा कक्षा		21	6940	328
2. कार्यालय कक्षा-सामान्य, कक्षा-सह-व्यवस्थापक कक्षा		8	1332	166
3. शौचालय-सह-अध्यापक		2	2500	1250

अन्य सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1. क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बनाए रखा है - हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2. भवन परिसर स्वच्छ (दैनिकीय रूप से उपलब्ध करें)	हाँ	हाँ
3. शौचालय एवं खेल उपकरण (दैनिकीय रूप से उपलब्ध करें)	हाँ	हाँ
4. पुस्तकों की संख्या	21332	21332
5. विद्युत/सुरक्षात्मक पत्र	10	10
6. प्रवेशन सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7. प्रवेशन सुविधा की संख्या	5	5
8. शौचालय का प्रकार (आर.टी.ए.परिभाषित करें)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9. लड़कों के लिए सुविधा शौचालयों की संख्या	10	10
10. लड़कियों के लिए सुविधा शौचालयों की संख्या	10	10
11. कार्यालय कक्षाओं के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
12. क्या अंतिम सुविधा प्रणाली उपलब्ध है ? - हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- सेवा प्रदाता को देना चाहिए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापन होना और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होना। अन्यथा सेवाओं को प्रदाता की एक प्रति प्रतिवर्ष तैयार करना प्रदाता को देना चाहिए।
- प्राथमिक स्कूल का मान्यता क्र. 09048358, एवं हाईस्कूल (DSE) 23090509204 है। इस कार्यलय के साथ प्रदाता ने एक क्र. 09 नंबर पर सेवा देना चाहिए।
- एन.टी.ए. और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा बोर्ड/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अद्यतन की जाएगी और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय या प्रदाता के ऐसे अनुबंधों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमी को पूरा करने के लिए अथवा आवश्यकता की शर्तों के विरुद्ध पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
- शैक्षणिक प्रदाता, यदि कोई हो, के मान्यता का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपलब्ध "टीए" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं विधायन के उपबन्धों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा शर्तों को पूरा करने में असमर्थता काफिल ले ली जाएगी।

  
 शिक्षा अधिकारी  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 चहतरपुर



Vatsala Singh  
 PRINCIPAL  
 DELHI PUBLIC SCHOOL  
 CHHATARPUR (M.P.)



मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

// परिपत्र //

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/शशिके/आरटीई/2020/6225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय विमा निघा की गई है।


3/ वर्तमान कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिकोण से अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

3.1 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करना हुए तत्काल विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नवीन मान्यता एवं वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई पोर्टल पर के मध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में विहित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।


3.3 उपरोक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संघीयों द्वारा तत्काल निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

  
(क.क. द्विवेदी)  
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



  
PRINCIPAL  
DELHI PUBLIC SCHOOL  
CHHATARPUR (M.P.)



प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
  2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
  3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  7. समस्त सभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
  8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
  9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  10. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र एनआइसी, विद्यालय भवन, भोपाल।
  11. श्री सुनील जैन, परिष्कृत तकनीकी निदेशक, विद्यालय भवन भोपाल।
  12. समस्त सभागीय सयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
  13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
  14. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
  15. समस्त विकासखण्ड समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
31/12/20

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



*Vatsala Singh*  
PRINCIPAL  
DELHI PUBLIC SCHOOL  
CHHATARPUR (M.P.)